

Notice for Strike on 15th December, 2011**No. TF-38/3 Dated 19.11.2011**

In accordance with the provisions contained in Sub-Para (1) of Section 22 of ID Act, we hereby serve Strike Notice for 15th December, 2011 for settlement of the demands appended below.

1. Withdraw the proposal of VRS to staff.
2. Restore financial viability of BSNL
 - (a) Compensate for uneconomical activities done by BSNL and continue grant of support of Rs.2,000 crores in lieu off ADC. (b) Release BSNL from payment of Pension liability of 40% as per DOT orders of 15th June, 2006. (c) Choice for selecting 3G spectrum. (d) Reimbursement of License fee as assured at the time of formation of BSNL. (e) Refund of Rs 8313 crores paid towards BWA spectrum band (f) Discontinue and disband all TACS.
3. Immediate procurement of equipments (GSM, Cables, Dropwires, Modem etc)
4. 78.2% IDA fixation
5. Restoration of Medical Allowance, Leave encashment and LTC facilities.
6. Take steps for early repatriation of non-optee ITS officers.
7. Minimum Bonus to staff akin to CG employees.
8. Ensure dialogue with all the registered and applicant unions and extend minimum Trade Union facilities.

We are compelled to serve the strike Notice as these demands are unresolved for a long time despite pursuance at different levels. ■

दिनांक 15.12.2011 को एक दिवसीय हड़ताल

बीएसएनएल वर्कर्स एलायन्स के घटकों के महासचिवों के हस्ताक्षर से पत्रांक टीएफ 38/3 दिनांक 19.11.2011 द्वारा दिनांक 15.12.2011 को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल की सूचना माननीय अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक बीएसएनएल नई दिल्ली को समर्पित की गई है जिसमें निम्नलिखित मांगों को शामिल की गई है:-

- 1) प्रस्तावित वीआरएस की वापसी।
- 2) बीएसएनएल की आर्थिक जीवन्तता पुनः बहाल करने हेतु।
 - क) अवाणिज्यिक कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति एवं ए.डी.सी. के बदले 2000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करायें।
 - ख) पेंशन भुगतान सम्बंधी डी.ओ.टी के पत्र दिनांक 15.06.2006 की वापसी। ग) 3जी स्पेक्ट्रम में इच्छित परिमंडलों के चयन की अनुमति। घ) निगम बनते समय किये गये वादे के अनुरूप लाइसेंस शुल्क की वापसी। ड) ब्राड-बैंड वायरमैक्स के नाम पर वसूले गये 8313 करोड़ रुपये की वापसी। च) टेलीकाम एडवाइजरी कमिटी की तत्काल समाप्ति।
- 3) साज समान जैसे जी.एस.एम. उपकरण केबल, ड्रायवायर, मांडेम की तुरंत आपूर्ति हेतु।
- 4) 78.2 प्रतिशत आई डी ए का शीघ्र निर्धारण।
- 5) बगैर वाडचर चिकित्सा भत्ता का भुगतान एवं छुट्टी नगदीकरण के साथ एल.टी.सी. की बहाली।
- 6) नॉन-आप्टी आई.टी.एस. का तुरंत रिपैटरिशन।
- 7) केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह न्यूनतम बोनस का भुगतान।
- 8) सभी पंजीकृत एवं आवेदित संघों को न्यूनतम ट्रेड यूनियन सहूलियत देने हेतु।

उपर्युक्त समस्त मुद्दे बहुत अर्से से लम्बित हैं और इसके समाधान की दिशा में प्रबंधन/सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। अतः हड़ताल पर जाना हमारी बाध्यता है। ■